

प्रेषक,

उदयराज सिंह,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता  
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग-02

देहरादून : दिनांक 2 मार्च, 2021

विषय:- टी0एस0पी0 नलकूप निर्माण मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड सितारगंज में 03 संख्या राजकीय नलकूप निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2554/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/पी-27 (टी0एस0पी0), दिनांक 15.07.2019 एवं पत्र संख्या-4244/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/पी-27 (टी0एस0पी0), दिनांक 24.12.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद ऊधमसिंहनगर के विकास खण्ड, सितारगंज में तीन राजकीय नलकूप निर्माण की योजना के प्राक्कलन की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि ₹ 197.74 लाख (रु0 एक करोड़ सत्तानबे लाख चौहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹ 66.04 लाख (रु0 छियासठ लाख चार हजार मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कही आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।
2. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
3. व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत न हो। अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत होने की दशा में इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि समर्पित की जाय।
4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
5. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायें।
6. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
7. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
8. आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
9. धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार चालू कार्यों में ही किस्तों में किया जायेगा।

क्रमशः.....02

10. धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यों के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।
11. उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
12. जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
13. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
14. उक्तानुसार आवंटित धनराशि को तत्काल कार्यदायी संस्था/आहरण वितरण अधिकारी को अवमुक्त कर दी जाय, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
15. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 229/9(150)-2019/XXVII(1)/2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-04-नलकूपों का निर्माण-001-निर्देशन एवं प्रशासन-02 नलकूपों का निर्माण (47000479603)-53 वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-70/XXVII(2)/2021, दिनांक 25 फरवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।


भवदीय,

(उदयरज सिंह)  
अपर सचिव।

संख्या- 22 (1) / 11(02) / 2021-04(12) / 2018, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/पिथौरागढ़।
4. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सितारगंज, ऊधमसिंह नगर।
- ✓ 7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से  
  
(अजीत सिंह)  
उप सचिव